

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.2(ग)(1) अलेसे-1/ 200

दिनांक :- 21/06/2019

आदेश संख्या : 421/2019-20

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों का स्थानांतरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में तुरंत प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.स. (1)	लिक नम्बर (2)	नाम (सर्वश्री) (3)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (4)	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम (5)	विशेष विवरण (6)
1	9615	धीरज कुमार परिहार [सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम]	संयुक्त पंजीयक, सहकारिता विभाग, जोधपुर - 1322 (स्थानान्तरणीधीन)	संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय), जोधपुर - 13122	रिक्त पद पर
2	4404	बक्षाराम मुवाल [सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय]	संयुक्त निदेशक, उद्यान विभाग, जोधपुर - 13371	सहायक निदेशक (विस्तार), कृषि विभाग, मेड़ता, नागौर - 20573	रिक्त पद पर
3	12167	सुशील गोदारा [कनिष्ठ लेखाकार]	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग RAIPUR - पाली - 23421	तहसीलदार, (राजस्व विभाग), मेड़ता, नागौर - 24475	रिक्त पद पर

उक्त आदेश वित्त विभाग की पत्रावली संख्या प.2(1) वित्त/राजस्व/2019 दिनांक 21.06.2019 के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2(ग)(1) अलेसे-1/ 200

दिनांक :- 21/06/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि सम्बंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
3. कोषाधिकारी.....
4. श्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II / कार्मिक III) कार्यालय हाजा।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)